ग्राम पंचायत कँवरपुरा बनाम सरकार

किस्म मुकदमा अपील संख्या 11 / 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 11/2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02.02.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी श्री उमेश गौड उपस्थित। इन्हे बहस एडमिशन व स्थगन प्रार्थना पत्र पर अन्तरिम रूप से सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 09.02.2021 को पेश हो। (सेवा राम स्वामी) अति.संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर	
9/2/21	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उप। अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06-01-2021 के विरुद्ध पेश कर प्रार्थी ग्राम पंचायत बनियाना द्वारा दी गई अनापत्ति, तहसीलदार लवाण की अभिशंषा के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा ग्राम कँवरपुरा तहसील लवाण जिला दौसा में स्थित चारागाह भूमि खसरा 201 रकबा 13.75 हे० में से 0.40 हे० भूमि नवसृजित ग्राम पंचायत कँवरपुरा पं०स० लवाण के कार्यालय भवन व 0.80 हे० भूमि अन्य राजकीय कार्यालयों के भवन निर्माणार्थ हेतु आवंटन की गई है। उक्त आवंटन आदेश अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधि के अनुरूप नियमानुसार तत्समय सक्षम अधिकारी से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात पारित किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील एडमिशन स्तर पर ही खारिज किया जाना उचित है। (सेवा राम स्वामी) अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ग्राम पंचायत कॅवरपुरा बनाम सरकार	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परिणामतः अपील अस्वीकार खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय विधिवत सूचित हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो। (सेवा राम स्वामी) अति. संभागीय आयुक्त, जयपुर	

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय,

जयपुर जिला जयपुर

ग्राम पंचायत कॅवरपुरा पंचायत समिति लवाण तह0 लवाण जिला दौसा जरिए सरंपच ग्रम पंचायत कॅवंरपुरा पंचायत समिति लवाण जिला दौसा

– अपीलांट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिए जिला कलेक्टर महोदय, दौसा
2. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार जी लवाण तह0 लवाण जिला दौसा

– रेस्पोडेन्ट

<u>अपील विरूद्ध निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा जिला दौसा दिनांक 06–01–2021 बाबत भू–आवंटन कमांक आर 11 जी पी (42) 2020/80 दिनांक 06–01–2021</u>

महोदय,

अपील अपीलांट निम्नांकित पेश है:–

यह है कि अपील से संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा नवगठित ग्रम पंचायत कवंरपुरा पंचायत समिति लवाण के नवसृजित ग्राम पंचायत कॅवरपुरा पंचायत समिति लवाण के कार्यालय भवन व अन्य राजकीय कार्यालयों के भवन निर्माणार्थ हेतु ग्रम कंवरपुरा में स्थित चरागाह भूमि ख0न0 201 रकबा 13.75 है0 में से 1.20 है0 भूमि किस्म राज0 काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 तथा राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक 6(25) राज0–6/2014 पार्ट/96 दि0 03–11–2020 व एफ 10 (3) राज0–6/2001/95 दि0 03–11–2020 के अन्तर्गत चरागाह से खारिज की जाकर उक्त चरागाह भूमि की हेतु ग्राम बूटोली तह0 लवाण स्थित राजकीय सिवायचक भूमि ख0न0 123 रकबा 1.94 है0 में से 1.20 है0 भूमि की क्षतिपूर्ति के रूप में चरागाह में परिवर्तन करने के आदेश दिये गये है। जिसके विरूद्ध यह अपील निम्नांकित कारणो से पेश है:–